संख्याः 330/VII-I/2019-233(उद्योग)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2 देहरादून : दिनांक : 10 मई 2019

विषयः- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत मंहगाई भत्ते के शासनादेश के अनुरूप राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कार्मिकों हेतु मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या-79(1)/XXVII(7)02/2016, दिनॉक 07 मार्च, 2019 एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-631/VII-I/2018-233(उद्योग)/2008, दिनांक 31.10.2018 के कम में राज्य के सार्वजनिक उपकमों/निगमों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2019 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 09 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर 12 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निगम/सार्वजनिक उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुये मामले को बोर्ड बैठक से अनुमोदित कराकर, कार्यरत कार्मिकों हेतु मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिये नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/VII-1/2019-233(उद्योग)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2-सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 07.03.2019 के कम में।
3-अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।